

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

उत्प्रेषण को जवाब अज्ञापी सं. 7 की नज़ात दिल
 गई। वालते पेश होने जवाब टी. आर्. आर्. अज्ञापी
 3 तथा बतलकी अज्ञापी सं. 1, 4 हेतु अज्ञापी
 दिनांक 19/07/2019 को पेश हो।

19/07/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उप.
 अनुपस्थित / पीठारीय अधिकारी
 को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आपत्तानुसार आईन्दा
 दिनांक 16/08/19 को पेश हो।

16/08/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उप.
 अनुपस्थित / पीठारीय अधिकारी
 को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आपत्तानुसार आईन्दा
 दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

16/10/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उप.
 अनुपस्थित / पीठारीय अधिकारी
 को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आपत्तानुसार आईन्दा
 दिनांक 05/12/19 को पेश हो।

05/12/19

बकूलाय फ़ाकिल उप.। वालते पेश होने जवाब
 टी. आर्. अज्ञापी सं. 3 तथा बतलकी अज्ञापी सं. 1, 4
 हेतु अज्ञापी अज्ञापी दिनांक 17/01/20 को पेश हो।

05/12/19

प्रकरण में अज्ञापी संख्या 7 अज्ञापी तहसीलदार
 शकडेल द्वारा पुरसुत प्राण पत्र बाबत शीघ्र हुकम
 पेश होने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी सं
 तलब की जाकर आज पेश हुई। अज्ञापी सं. 7
 ने एक प्राण पत्र अज्ञापी 0.39, R:4 व

मं. नं. ५५७/२०१३
 मुं. नं. ५५७/२०१३

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>द्वारा 151 CPC का पेश किया। उक्त पाठ पत्रों के अवलोकन से प्रकरण आन्तरिक प्रकृति का पाया जाने पर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 09/12/2019 निघत की जाती है। सम्बन्धित पक्षकारों को शीघ्र सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर फावली दिनांक 09/12/19 को पेश हो।</p> <p>09/12/2019 फावली पेश हुई। पार्सी सं. 01 व 02 की तलबी जरिअे रजिस्टर्ड इ.टी. करवायी जाने के उपरान्त श्री ना तो वे स्वयं या उनकी ओर से कोई दायिर नहीं आया। प्रकरण में अग्रणी सं. 07 द्वारा प्रस्तुत कबजा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. सं. सीकर द्वारा श्री मोहम्मद फारूख को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में उनकी प्रकरण मोहम्मद फारूख बनाम भारतीय खाद्य निगम, के विधिक उजदारी संख्या 12/2010 सी.आई.रफ्त. नम्बर 368/2014 के द्वारा अधिकारी तहसीलदार खण्डेला को उम्तानुसार कब्जा दिलाने हेतु आदेशित किया गया है। प्राचीण द्वारा उक्त आदेश को विलम्बित करने के आशय से उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अतीर स्वयं आदेश प्राप्त किया है। अतः अग्रणी सं. 07 द्वारा प्रस्तुत पाठ पत्र अन्तर्गत 0.39, R-4 CPC व द्वारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर पाठ पत्र टी.आई. को इसी स्तर पर स्वारित किया जाता।</p>	



हुण्ड्य वा कार्बवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुण्ड्य

हैं। पत्रवली केंद्रल शुमार होकर नम्बर से कम हो न बाद लकील दाखिल दपतर ही/ घट मिलन आज दिनांक 09.12.2019 को हुके - न्यायालय में हुनामा गया।



09.12.18
रतोजीत सिंह
सहायक क्लर्क
(फास्ट ट्रेक) सल 11
R.A.S
सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)
सबल (सीकर)